

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 65/2018 अपील (राजस्व)

श्री गंगाराम पिता हिरालाल कालबेलिया, निवासी लदाना, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

— अपीलान्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार सनवाड़, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)

— रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरुद्ध आदेश उप तहसीलदार सनवाड़ दिनांक 07.09.18 मुकदमा नम्बर 77/2018 ना.क.

उपस्थित : 1. श्री खेमराज डांगी, अधिवक्ता अपीलान्त
2. श्री मनोज कुमार पँवार, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक:—18.06.2019

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा लदाना के आराजी संख्या 1118, 1154 रकबा 9.15 बीघा पर कब्जा अपीलान्त का सन् 1970 से पूर्व का होकर अपीलान्त का उक्त आराजी पर पक्का मकान बना हुआ है जिसमें अपीलान्त व उसके परिवार वाले निवास कर रहे हैं तथा उक्त आराजी को अपीलान्त ने काफी आवादान की हैं। जिस पर ग्राम पंचायत वासनीकला द्वारा ग्राम सभा दिनांक 25.04.1986 को यह प्रस्ताव लिया गया कि अपीलान्त के अन्य कब्जेशुदा आराजीयात को खाली कर समस्त ग्रामवासियों के पशुओं के चरने के लिये छोड़ दी जावें तो उक्त चारागाह भूमि पर अपीलान्त ने कुएँ खोद रखे हैं तथा 100—150 परिवार उक्त भूमि पर पक्का मकान बनाकर निवास कर रहे हैं इसलिये उक्त चारागाह भूमि

से अपीलान्ट को बेदखल नहीं करने का ग्राम सभा में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव लिया गया तथा उक्त ग्रामवासियों व भू अभिलेख निरीक्षक, पटवारी हल्का तथा तत्कालीन सरपंच द्वारा मौका पर्चा भी बनाया गया था। इस तरह उक्त प्रस्ताव अनुसार अपीलान्ट ने अपनी अन्य कब्जेशुदा भूमि से कब्जा खाली कर दिया तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा आश्वासन दिया गया कि अपीलान्ट के कब्जे की चारागाह भूमि की किस्म परिवर्तन कराकर अपीलान्ट के नाम नियमन करायी जावेगी। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा किस्म परिवर्तन की कार्यवाही नहीं की गई जिससे उक्त आराजीयात चारागाह होने से अपीलान्ट को गलत नोटिस दिया गया है। जबकि उक्त आराजीयात पर ग्राम पंचायत की सहमति व ग्राम पंचायत द्वारा लिये गये प्रस्ताव से कब्जा अपीलान्ट का चला आ रहा है जो अपीलान्ट के नाम नियमन होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कथित प्रकरण में जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई विधिवत अवसर दिये बिना कथित आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने कथित प्रकरण में मौके की जाँच किये बिना मनमकसुद तरीके से बेदखल करने का आदेश पारित करने में भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलान्ट का नाजायज कब्जा बताकर फसल की निलामी 950/- रुपये में की जाना बताकर 950/- रुपये वसूल करने के आदेश भी गलत दिये गये हैं। मौके पर उक्त आराजीयात में अपीलान्ट के मकान बने हुए है जिसके फोटो भी इस अपील के साथ पेश किये जा रहे है जिसके संबंध में अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में कोई उल्लेख नहीं किया है। अपीलान्ट व उसके परिवार का जीवन निर्वाह इसी जमीन पर आधारित है। अपीलान्ट निम्न काश्तकार है तथा अपीलान्ट का पुराना कब्जा होने से काबिल नियमन योग्य होते हुए भी बेदखली के आदेश देने में भारी भूल की है। अपीलान्ट का उक्त आराजीयात पर नाजायज कब्जा नहीं है व ग्राम पंचायत की सहमति से काबिज है तथा इस जमीन के एवज में मवेशियों के चरने के लिये अपीलान्ट ने अपनी अन्य कब्जेशुदा जमीन छोड़ रखी है जिस पर ग्रामवासियों के मवेशी चरते चले आ रहे हैं। कथित प्रकरण

में पेशी दिनांक 07.09.18 नियत थी उस दिन उपस्थित अपीलान्त को कहा गया कि बाद में आदेश होने की सूचना कर देंगे। लेकिन बाद में कथित आदेश की कोई जानकारी अपीलान्त को नहीं दी गई व पटवारी हल्का द्वारा कथित आदेश होने की सूचना दिनांक 09.10.18 को दी गई तो अपीलान्त ने उसी दिन अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर कथित आदेश की नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसी दिन नकल प्राप्त की। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का कथित आदेश निरस्त फरमाया जावे तथा विवादीत भूमि अपीलान्त के नाम नियमन फरमायी जावे।

अपील मेमो के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मयाद अधिनियम का भी प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली हैं।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

उपस्थित अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्त का पक्का मकान बना हुआ है जिसमें मय परिवार निवास करता है। ग्राम पंचायत वासनीकला द्वारा ग्राम सभा दिनांक 25.04.86 को यह प्रस्ताव भी लिया गया था कि जिस भूमि पर अपीलान्त मकान बनाकर निवास कर रहा है उक्त भूमि से बेदखल नहीं कर अन्य भूमि से कब्जे हटाये जावे। निवासरत भूमि कि किस्म परिवर्तन कराकर अपीलान्त के नाम नियमन करायी जावेगी। जो कार्यवाही भी आजदिनांक तक नहीं हुई है। अपीलान्त द्वारा ग्राम पंचायत की सहमति व लिये गये प्रस्ताव के अनुसार ही कब्जा चला आ रहा है जो नियमन योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्त को जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई विधिवत अवसर नहीं दिया गया। बिना अवसर दिये ही कथित आदेश पारीत कर दिया गया। मौके की जाँच भी नहीं की गई व बेदखली के आदेश पारीत कर दिये गये। अपीलान्त के परिवार का जीवन निर्वाह इसी जमीन पर आधारीत है। अपीलान्त निम्न काश्तकार हैं। कब्जा पुराना होने से काबिल

नियमन योग्य हैं। अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 2352/81 नाजायज कब्जा अनवानी रिपोर्ट पटवारी हल्का वासनी बनाम तुलसी पत्नि नाना कालबेलिया में निर्णय दिनांक 27.01.82 को यह आदेश पारित किया गया कि अतिक्रमित भूमि का रकबा 15 बिघा चरनोट से कमी कर बिलानाम दर्ज करा अतिक्रमी को आवंटित कराया जावें। प्रस्ताव श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को प्रेषित किया जावें। ग्राम पंचायत वासनी द्वारा भी इस भूमि को आबादी में लिये जाने हेतु बैठक दिनांक 25.04.86 से यह प्रस्ताव लिया गया था कि कालबेलिया परिवारो का यह भूमि आवंटित की जावें। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, उदयपुर के प्रकरण संख्या 218/83 निर्णय दिनांक 23.03.84 से भी तहसीलदार का आदेश अपास्त किया जाकर शहादत सबुत का अवसर देकर स्थल निरीक्षण कर विधिवत आदेश पारीत किये जाने हेतु प्रकरण पुनः प्रेषित किया गया। हमारे पुर्वाधिकारीयो को विकास अधिकारी मावली द्वारा आबादी भूमि का विक्रय विलेख के पट्टे भी दिनांक 30.12.74 को जारी किये गये हैं। वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्तगणो का कब्जा काफी पुराना होकर मौके पर मकान बने हुए हैं। निर्णय से पुर्व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्थल निरीक्षण भी नहीं किया गया। पटवारी हल्का द्वारा भी अपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा छपे छपाये फार्म पर आदेश जारी किया गया है ऐसे आदेश को स्पीकिंग आदेश नहीं कहा जा सकता हैं। ऐसा आदेश शुन्य प्रभावी हैं। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का कथित आदेश निरस्त फरमाया जावें एवं विवादीत भूमि अपीलान्त के नाम नियमन फरमायी जावें।

विद्ववान अधिवक्ता राज्य द्वारा उपस्थित होकर अधिवक्ता अपीलार्थी के कथनो का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अतिक्रमित भूमि चारागाह की हैं। जिसका उपयोग मात्र पशुओ की चराई हेतु किया जा सकता हैं। बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के चारागाह भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजनार्थ नहीं लिया जा सकता हैं। ग्राम पंचायत वासनीकला द्वारा अपनी ग्राम सभा में ऐसा कोई प्रस्ताव लिया भी गया है तो जब तक ऐसे प्रस्ताव पर स्वीकृति

सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा देय नहीं हो तब तक ऐसे प्रस्ताव को किसी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। जबकि अपीलान्ट द्वारा कुल 9.15 बिघा भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा काश्त किया गया है। बिना स्वीकृति के पक्का मकान बना लिया गया है। अपीलान्ट का अतिक्रमण सन् 1970 से पूर्व का नहीं है। ऐसी स्थिति में ऐसी अतिक्रमित भूमि को किसी भी प्रचलित नियमों में नियमन नहीं किया जा सकता है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमायी जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विस्तृत अध्ययन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमित भूमि पर कब्जा सन् 1970 से पूर्व का होना बताया गया है जिससे अतिक्रमित भूमि का नियमन किया जावें। अपने कथनों की ताईद में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे यह साबित होता हो कि अतिक्रमित भूमि पर कब्जा सन् 1970 से पूर्व का है। अपीलान्ट का यह कथन भी स्वीकार योग्य नहीं है कि ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा दिनांक 25.04.86 को प्रस्ताव पारीत कर अतिक्रमित भूमि को छोड़कर शेष से कब्जा हटाये जाने बाबत प्रस्ताव लिया गया। ऐसा दस्तावेज सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना स्वीकार योग्य नहीं है। अतिक्रमित भूमि चारागाह भूमि है। जिसका उपयोग पशुओं की चराई के लिये ही हो सकता है। बिना राज्य सरकार की स्वीकृति लिये इसे अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं लिया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार सनवाड़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.09.18 को सभी तथ्यों को पूर्णतया भलीभांती अवलोकन कर पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी किया जाना दृष्टिगत नहीं होता है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है और

अपील अपीलार्थी में कोई बल नहीं होने से अपील खारीज किये जाने योग्य पायी जाती हैं।

अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश बहाल रखा जाता है।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली उपतहसीलदार सनवाड़ को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फ़ैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ़्तर हों।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर